



2026:AHC:31978

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2492/2026

बेचू यादव

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: अनिल कुमार श्रीवास्तव, रत्नेश प्रताप सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश प्रताप सिंह एवं राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा अन्य बातों के साथ मुख्य रूप से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि प्रत्यर्थीगण/प्राधिकारियों को याची के पत्यावेदन दिनांक 04.11.2024 जिसकी प्रति रिट याचिका के संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न हैं को निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त याचिका में याची द्वारा मांगी गई राहत केवल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू करके ही प्रदान की जा सकती है।

इस स्तर पर याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई कि याची को उक्त कार्यवाही शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तथा न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका याची को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। यदि याची द्वारा संबंधित सक्षम न्यायालय के समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय यथासंभव शीघ्रता से उस पर निर्णय लेगा।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विनोद

न्यायमूर्ति)

(प्रकाश पाडिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"